सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— मोनिका बलारा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 01 / 2017

आरसीएमएस नम्बरः— 2017 / 00001

1. श्रीमोहन सिंह
2. मदनमोहन
} श्री प्रभुदयाल जाति सारडा निवासी उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर।
3. महावीर सिंह पुत्र मुरली सिंह जाति यादव निवासी उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर ।

..........**वादीगण**

———बनाम———

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह निवासरी ग्राम जैतपुर तहसील रेवाडी जिला रेवाडी (हरियाणा)।
2. उर्मिला पत्नी श्री धनपत सिंह निवासी ग्राम जैतपुर तहसील रेवाडी जिला रेवाडी (हरियाणा) ।
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह जाति यादव निवासी ग्राम उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर ।
4. रामगिरी पत्नी स्व. श्री अजीत सिंह जाति यादव निवासी ग्राम उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर ।
5. अनिता पत्नी श्री महावीर प्रसाद जाति यादव निवासी वार्ड नं. 9 श्री करणपुर (कच्ची ढेरी) जिला श्रीगंगानगर ।
6. सुनिता पत्नी श्री इन्द्रपाल सिंह जाति यादव निवासी वार्ड नं. 8 गांव धारोडा (आईडिया टॉवर के पास) रेवाडी, (हरियाणा) ।
7. पिंकी पत्नी श्री इन्द्रपाल सिंह जाति यादव निवासी गांव फदनी तहसील माचलहेरी जिला रेवाडी (हरियाणा) ।
8. सोनी पत्नी श्री सोनु यादव जाति यादव निवासी गांव मुण्ढाणा तहसील माचलहेरी जिला झज्जर (हरियाणा) ।
9. रामानन्द सिंह पुत्र जगमाल सिंह जाति यादव निवासरी गांव उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर ।
10. सुनीता पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह जाति यादव निवासी गांव उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर ।
11. तहसीलदार राजस्व बीकानेर।

..................**प्रतिवादीगण**

6/4/18
सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

मुकदमा नम्बरः— 87 / 2014

आरसीएमएस नम्बरः— 2014 / 00046

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. रामानन्द सिंह पुत्र श्री जगमाल सिंह, जाति (अहीर) यादव, निवासी ग्राम उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर।

..................वादी

——बनाम——

1. राजेन्द्र सिंह
2. सुशीला
3. उर्मिला

} पिसरान जगमालसिंह निवासीगण ग्राम उदयरामसर बीकानेर।

4. सुरेन्द्र पुत्र जगमाल सिंह निवासी ग्राम उदयरामसर, बीकानेर ।
5. रामागौरी पत्नी स्व. अजीतसिंह, निवासीगण ग्राम उदयरामसर बीकानेर।
6. अनिता
7. सुनिता
8. पिंकी

} पिसरान अजीतसिंह निवासीगण ग्राम उदयरामसर बीकानेर।

9. कुलदीप पुत्र मनमोहन सिंह यादव, जाति यादव, निवासी ग्राम उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर।
10. मोहन पुत्र प्रभुदयाल, जाति सारडा, निवासी ग्राम उदयरामसर, तहसील व जिला बीकानेर।
11. सुनिता पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह, जाति यादव, निवासी ग्राम उदयरामसर, तहसील व जिला बीकानेर।

..................प्रतिवादीगण

उपस्थितः— 1. श्री हरिश मदान अभिभाषक वादीगण / प्रतिवादीगण संख्या 10 ।
2. श्री सुरेश व्यास अभिभाषक प्रतिवादी सं. 9 / वादी की ओर से।
3. श्री घनश्याम जनागल अभिभाषक प्रतिवादी सं. 3 ता 8 व 10 की ओर से।

निर्णय दिनांकः— 16-04-2018

उक्त अनवानी दोनों वाद पत्र क्रमशः दिनांक 12.01.2017 व दिनांक 05.09.2014 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुवें । उक्त दोनों वादो के कानूनी बिन्दु, वादगत भूमि एवं अधिकांश पक्षकारान एक समान होने से इनका एक ही आदेश से निर्णय किया जाता है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली मे लगायी जावें।

संक्षेप मे दोनों प्रकरण से सम्बंधित तथ्य इस प्रकार से है कि वादी श्रीमोहन, मदनलाल पुत्रगण प्रभुदयाल जाति सारडा व महावीर सिंह पुत्र मुरली सिंह

जाति यादव निवासी उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेरी ने एक वाद पत्र प्रतिवादीगण राजेन्द्रसिंह वगैरह अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन प्रस्तुर करते हुवे अभिवचन किया कि वादग्रस्त आराजीवात वाके ग्राम उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर के खेत ख. नं. 852 में 7.5900 हैक., ख. नं. 874 मे 1.3900 हैक., ख. नं. 875 मे 0.5000 हैक., खं. नं. 876 में 0.7500 हैक., खं. नं. 1674 मे 0.0700 हैक., ख. नं. 1675 मे 16.5900 हैक., खं. नं. 1676 मे 12.0600 हैक. कुल किता 7 कुल तादादी 38.9500 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के सयुंक्त नाम से है।

वादी सं. 1 की उक्त सयुंक्त खाते में 3.24575 हैक. भूमि वादी सं. 2 के नाम उक्त खाते में 3.24575 हैक. भूमि एवं वादी सं. 3 के नाम उक्त खाते में 6.4915 हैक. भूमि का जमाबन्दी में इन्द्राज है। उक्त खसरो की भूमि सयुंक्त रूप से होने के कारण वादीगण अपनी कृषि भूमि पर सही ढंग से काश्त नहीं कर पा रहे है ना ही उक्त भूमि को सुधार ही कर पाते है वादीगण ने प्रति वादीगणों को सयुंक्त खाते की भूमि मे अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते है जो टेलिफोन के माध्यम से कहा गया तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को कहा कि खाते का विभाजन नही करेगे व ना ही जमीन को अलग–अलग करेंगे तथा जहां वादीगण उक्त खसरो की भूमि मे बैठे है उक्त खसरो की भूमि से बेदखल कर देंगे तथा भूमि को विक्रय भी कर देंगे। प्रतिवादीगण द्वारा खाता विभाजन करने से इन्कार करने एवं उक्त भूमि में विशिष्ठ हिस्से को विक्रय करने की धमकी देने तथा वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने की धमकी से वादीगण का हक उत्पन्न हो गया है कि वे सयुंक्त खाते की भूमि मे से वादी सं. 1 की 3.24575 हैक. भूमि एवं वादी सं. 2 की 3.24575 हैक. भूमि एवं वादी सं. 3 की 6.4915 हैक. भूमि की विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से अलग–अलग करवाया जावें।

इस वाद में प्रतिवादीगण को समन बनाम मुदायलाह बिनावत कायमी तनकीयात दिलाया गया जिस पर प्रतिवादी सं. 3 ता 8 व 10 की तरफ से श्री घनश्याम जनागल एड. उपस्थित आये व जवाब दावा पेश किया गया ।

प्रतिवादी सं. 3 ता 8 व 10 की तरफ से उनके वकील द्वारा अपने जवाब में सयुंक्त खाते की भूमि में से वादीगण अपना हिस्सा अलग करवाने पर उनको कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादीगण वादीगण को उनकी सयुंक्त कृषि भूमि से बेदखल नहीं कर रहे है, ना ही करेंगे। हमारा हिस्सा भी अलग कर दिया जावें। सयुंक्त खाते में नहीं रहना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 9 के अभिभाषक श्री सुरेश व्यास द्वारा कथन किया गया कि वादपत्र संख्या 01/2017 श्रीमोहन आदि बनाम राजेन्द्र सिंह आदि में सम्मिलित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार यदि पक्षकरों के मध्य खात विभाजन किया जाता है, जो उन्हे काई उज्र एतराज नहीं है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16/5/18
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण में अभिभाषकगण ने इस प्रकरण से सम्बधित एक अन्य वादपत्र अनवान रामानन्द सिंह बनाम राजेन्द्रसिंह मु. नं. 87/2014 इसी विवादीत कृषि भूमि के विभाजन का विचाराधीन है जिसे इस वाद के साथ consolidate करने के निवेदन पर दोनों पत्रावलियाँ जूज की गयी।

वकील वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित सहखातेदार वादगत कृषि भूमि वाके रोही उदयरामसर तहसील व जिला बीकानेर को by meets and bound के आधार पर खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया।

हमने दोनों पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व बहस पर मनन किया गया। दोनों वादगत भूमि एक ही है । ग्राम उदयरामसर की जमाबन्दी सम्वंत 2072–75 में वादगत भूमि ख. नं. 852 में 7.5900 हैक, ख. नं. 874 मे 1.3900 हैक., ख. नं. 875 मे 0.5000 हैक., खं. नं. 876 में 0.7500 हैक., खं. नं. 1674 मे 0.0700 हैक., ख. नं. 1675 मे 16.5900 हैक., खं. नं. 1676 मे 12.0600 हैक., कुल किता 7 कुल तादादी 38.9500 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 सह खातेदार हैं। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण मे अंकित हिस्से के अनुसार by meets and bound के तहत **"अच्छी से अच्छी से एवं बुरी से बुरी"** के आधार पर किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम उदयरामसर के खेत खसरा नं. 852 में 7.5900 हैक. , खसरा नं. 874 मे 1.3900 हैक, खसरा नं. 875 मे 0.5000 हैक., खसरा नं. 876 में 0.7500 हैक., खसरा नं. 1674 मे 0.0700 हैक., खसरा नं. 1675 मे 16.5900 हैक., खसरा नं. 1676 मे 12.0600 हैक. कुल किता 7 कुल तादादी 38.9500 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित हिस्से अनुसार तहसीलदार राजस्व बीकानेर को विभाजन के प्रस्ताव by meets and bound के तहत **"अच्छी से अच्छी से एवं बुरी से बुरी"** के आधार पर तैयार कर उनके खाते में पृथक–पृथक लगान कायम किये जाकर उनकी भूमियों को नक्शे में अलग–अलग रंगो में दर्शा कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश किये जाते है। विभाजन की प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16/4/18 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(मोनिका बलारा)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(शहर), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राथमिकी डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत.......... सहायक कलक्टर ....मुकाम............बीकानेर

बइजलास : मोनिका बलारा, आर.ए.एस.

श्रीमोहन आदि — : बनाम : — राजेन्द्र सिह आदि

मुकदमा नम्बर : 01 / 2017

आरसीएमएस नम्बरः– 2017 / 00001

दावा अन्तर्गत धाराः 53, 188 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री हरीश मदान, अभिभाषक वादीगण मिनजानिब मुदई व श्री सुरेश व्यास अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 9 व श्री जगदीश (घनश्याम) जनागल, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 3 ता 8 व 10 मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाता हैं । तहसीलदार बीकानेर को भूमि व लगान विभाजन के प्रस्ताव By Meets and Bound के आधार पर तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा जावें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

नीज ....मुबलिक ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल यानी तक ....-......... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक .... को डिक्री जारी की गई।

दस्तखत....................

ओहदा सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

मुदई	रूपया	न पै	मुदायला	रूपया	न पै
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म		
बाबत इजराय हुक्मनामा			नामा मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन को चाहे गिरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।